उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग-9

संख्या 1302/2019/ 1302/9-9-2010-85ज-05 टी०सी०
लखनऊ, 23 जुलाई, 2019

अधिसूचना

प0आ0-198

चूंकि उत्तर प्रदेश नगर निगम (सम्पत्ति कर) (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2018 के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1959) जिसे आगे उक्त अधिनियम कहा गया है, की धारा 540 की अपेक्षानुसार आपत्तियॉ सुझाव आमंत्रित करने के लिये सरकारी अधिसूचना संख्या 762/नौ-9-2018-85ज-05टी०सी०, दिनांक 26 सितम्बर 2018 प्रकाशित की गयी थी

और चूंकि कोई आपत्ति या सुझाव नियत समय के भीतर प्राप्त नहीं हुआ है;

अतएव, अब, उक्त अधिनियम की धारा 174 207क, 207ख, 208, 209, 210, 211, 212 213, 214 और 221 ख के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश नगर निगम (सम्पत्ति कर) नियमावली, 2000 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते है :-

उत्तर प्रदेश नगर निगम (सम्पत्ति कर) (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2019

1- (1) यह नियमावली ''उत्तर प्रदेश नगर निगम (सम्पत्ति कर) (तृतीय संशोधन) संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ नियमावली, 2019" कही जायेगी।

(2) यह उत्तर प्रदेश के समस्त नगर निगमों के लिये लागू होगी।

(3) यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2- उत्तर प्रदेश नगर निगम (सम्पत्ति कर) नियमावली, 2000 में नियम 4-क में, उपनियम नियम 4-क का

(2) में, अनुसूची में नीचे स्तम्भ-1 में दी गयी क्रम स०-1 की प्रविष्टि के स्थान पर स्तम्भ -2 में संशोधन

दी गयी प्रविष्टियाँ रख दी जायेंगी अर्थात :-

स्तम्भ- एक विद्यमान प्रविष्टि		स्तम्भ-दो एतद्वारा प्रतिस्थापित प्रविष्टियाँ	
सम्पत्ति का विवरण	अनवासिक भवन की मासिक किराये की दर	सम्पत्ति का विवरण	अनावासिक भवनों की मासिक किराये की दर
1) प्रत्येक प्रकार के वाणिज्यिक कॉम्पलेक्स, दुकाने और अन्य प्रतिष्ठान बैंक, कार्यालय, होटल, तीन स्टार तक के होटल, निजी होटल, कोचिंग और प्रशिक्षण संस्थान (राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त के सिवाय)।	(उपनियम (1) के अधीन नियत दर पाँच गुना	प्रत्येक प्रकार के वाणिज्यिक कॉम्पलेक्स बाजारों में स्थित दुकाने, टेण्ट हाउस, भवन निर्माण सामग्रियों की दुकानें और बैंक, बैंक ए०टी०एम०, वित्तीय कम्पनियाँ तथा गैर सरकारी कोचिंग सेण्टर।	(उपनियम (1) के अधीन नियत दर का पाँच गुना।
		(2) आवासिक क्षेत्र में चाय, दूध, के ब्रेड,	उपनियम (1)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

		अण्डों, पान, धोबी / लाण्ड्री, अधीन नियत दर फलों और सब्जियों, फोटोस्टेट, नाई / हेयर ड्रेसर और दर्जी की दुकानों के रूप में प्रयोग की जा रही अधिकतम 120 वर्ग फीट क्षेत्रफल की दुकानें ।	के अधीन नियत दर काडेढ़ गुना।

आज्ञा से,
मनोज कुमार सिंह,
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of the Consitution the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1302/1X-9-2019- 85J-05 T.C., dated July 23, 2019:

No. 1302/IX-9-2019-85J-05T.C
Dated Lucknow, July 23, 2019

WHEREAS Government Notification no. 762/IX-9-2018-85J/05T.C. dated September 26, 2018 was published to invite objections and suggestion as required under section 540 of the Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959 (U.P. Act no. 2 of 1959) hereinafter referred to as the said Act with regard to the Uttar Pradesh Municipal Corporation (Property Tax) (Third Amendment) Rules, 2018 and Whereas no objections or suggestion has been received within the stipulated time;

Now, therefore, in exercise of the powers under sections 174, 207A, 207B, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214 and 221B of the said Act, the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Municipal Corporation (Property Tax) Rules, 2000.

THE UTTAR PRADESH MUNICIPAL CORPORATION (PROPERTY TAX)
(THIRD AMENDMENT) RULES, 2019

1. (1) These rules shall be called the Uttar Pradesh Municipal Corporation

Short title, extent and commencement

(Property Tax) (Third Amendment) Rules, 2019.

(2) They shall be applicable to all the Municipal Corporations in UttarPradesh.

(3) They shall come into force with effect from date of their publicationGazette.

Amendment of Rule 4-A

2. In the Uttar Pradesh Municipal Corporation (Property Tax) Rules, 2000, in rule 4-A,in sub-rule (2), in the Schedule for the entry at serial no. 1 set out in Column-1 below, the entries set out in Column-2 shall be substituted, namely:-

COLUMN-1 Existing entry		COLUMN-2 Entries as hereby substituted	
Details of property	Rate of monthly rent of non residential buildings	Details of property	Rate of monthly rent of non residential buildings

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

1. Every type of commercial complexes, shops and other establishments, banks, offices, hotels, hotels uptothree star, private hotels. coaching and training institutes (except State Government aided)	Five times of the rate fixed under sub-rule (1)	(1) Every type of commercial complexes, shopsin markets, tent houses, building materials shops, and banks, banks A.T.Ms, finance Companies and non-Government Coaching Centres.	Five times of the rate fixe under sub-rule (1)
		(ii) In Residential region shops having maximum area of 120 the rate square feet, being used as Tea, Milk,Bread,Eggs,Paan,asherman/Laundry, fruits and Vagetables, Photostate, Barbar/HairDresser and Tailoring Shops.	1.5 times of the rate fixed under sub-rule (1)

By order,
MANOJ KUMAR SINGH,
Pramukh Sachiv.

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।